



13. लाभार्थी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में

क्रम	माता/पिता का नाम	पूरा पता	मृत्यु की तिथि
1.			
2.			

14. लाभार्थी बच्चे जिसके माता/पिता गंभीर बीमारी/दुर्घटना/मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित हैं, की स्थिति में

माता/पिता का नाम	लिंग		बीमारी का नाम	संलग्न कागजात
	स्त्री	पु०		

15. लाभार्थी बच्चे जिसके अभिभावक विधवा/तालाकशुदा/परित्यक्ता/कैदी हैं, की स्थिति में

अभिभावक का नाम	लिंग		विधवा/तालाकशुदा/परित्यक्ता/कैदी	संलग्न कागजात
	स्त्री	पु०		

16. क्या आवेदक का पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के साथ संयुक्त बचत खाता संख्या है? यदि हाँ, तो बैंक का नाम: शाखा:

खाता संख्या:

बैंक का नाम (IFSC Code सहित):

आधार संख्या:

मोबाईल न०

17. घोषणा-

मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्न किये गये सभी दस्तावेज के तथ्य/सूचनायें सही व सत्य हैं। मैंने प्रायोजन कार्यक्रम के नियम पूर्णतः पढ़/सुन/जान लिए हैं। मैं प्रायोजन कार्यक्रम अंतर्गत यर्जित प्रायधान के अनुसार बच्चे को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई तथ्य के असत्य/अपूर्ण/भ्रामक पाए जाने अथवा कार्यक्रम के नियमों को पालन नहीं कर पाने पर सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश/निर्णय का मेरे द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा/की जायेगी।

हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक का नाम)

18. संलग्न किये जाने वाले दरतावेज

क. आवेदक का बी०पी०एल० की प्रकाशित सूची के संगत अंश का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (यदि बी०पी०एल० सूची में नाम न हो) ।

ख. अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र ।

ग. विधवा माता की संतान होने की स्थिति में पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।

घ. तालाकशुदा/परित्यक्ता की संतान होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ।

ङ. बच्चे जिसके माता/पिता (कमाउ सदस्य) गंभीर बीमारी (कैंसर, एड्स आदि) से पीड़ित होने की स्थिति में सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र ।

च. बच्चे जिसके माता/पिता (कमाउ सदस्य) दुर्घटना/मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत 60 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र ।

छ. कँदी पिता अथवा माता की संतान होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश के साथ अन्य अभिभावक (पिता अथवा माता) बेरोजगार हैं, से संबंधित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।

नोट—आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा किए जाएंगे ।

×-----×

आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

आवेदन संख्या:-

प्रायोजन कार्यक्रम अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक श्री/श्रीमती /कुमारी.....

अभिभावक का नाम.....ग्राम/मुहल्ला..... वार्ड सं०.....

पंचायत/नगर निकाय.....प्रखंड.....जिला.....द्वारा भरे गये आवेदन

आज दिनांक ..... को प्राप्त किया ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर  
जिला बाल संरक्षण इकाई  
जिला का नाम-